पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 100/2025

अनवान :

1. मुरारी लाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पीरू जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. जयप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रमेश जाति जाट निवासी आसन हाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. प्रोमीला पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रवि शंकर जाति जाट निवासी आसन हाल निवासी गिगोरानी तहसील चोपटा व जिला सिरसा हरियाणा।
5. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी आसन हाल निवासी गिगोरानी तहसील चोपटा व जिला सिरसा हरियाणा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेश सुथार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा आसन के खाता संख्या 45/51 के खसरा संख्या 100, 107, 155, 157, 158, 159, 160, 191, 29, 31, 32, 82, 86 कुल खसरा 13 की 39.8110 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी मुरारीलाल, प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश एवं प्रतिवादी संख्या 2 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 100/2025

अनवान :

1. मुरारी लाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पीरू जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. जयप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रमेश जाति जाट निवासी आसन हाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. प्रोमीला पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रवि शंकर जाति जाट निवासी आसन हाल निवासी गिगोरानी तहसील चोपटा व जिला सिरसा हरियाणा।
5. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी आसन हाल निवासी गिगोरानी तहसील चोपटा व जिला सिरसा हरियाणा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री महेश बंसल. **: वादी**

वकील श्री नरेश सुथार **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

दिनांक : 07.07.25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता संख्या 45/51 के खसरा संख्या 100, 107, 155, 157, 158, 159, 160, 191, 29, 31, 32, 82, 86 कुल खसरा 13 की 39.8110 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि पहले वादी के दादा पीरू की हुआ करती थी जो पीरू की मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम दर्ज हो गई। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश होने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में मुरारीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा आसन खाता संख्या 45 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी रोही मौजा आसन संवत 2029–38 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुरतपुरा प्रदर्श 3, शपथ पत्र मुरारीलाल बाबत [illegible] हेतु प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:40 IST
Reason: Self Attested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने [illegible] तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा आसन

Scanned with CamScanner

के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा आसन के खाता संख्या 45/51 के खसरा संख्या 100, 107, 155, 157, 158, 159, 160, 191, 29, 31, 32, 82, 86 कुल खसरा 13 की 39.8110 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक जवाबदावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता संख्या 45/51 के खसरा संख्या 100, 107, 155, 157, 158, 159, 160, 191, 29, 31, 32, 82, 86 कुल खसरा 13 की 39.8110 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी मुरारीलाल, प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश एवं प्रतिवादी संख्या 2 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner